पटना सहित पूरे देश में छठ पर्व का उत्साह

छठ की रोशनी में नहाया बिहार, हर घाट पर गूंजे गीत

पटना, 27 अक्टूबर. लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ का तीसरा दिन पूरे बिहार, उत्तरप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भक्तिभाव से मनाया गया. राजधानी पटना से लेकर बांका, मुजफ्फरपुर, कटिहार और हाजीपुर तक श्रद्धालुओं की भीड़ छठ घाटों पर उमड़ पड़ी. अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदियों, तालाबों और पोखरों के तट दीपों की रोशनी और छठ गीतों से आलोकित हो उठे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित अपने आवास पर परिवार संग भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेशवासियों के सुख-शांति की कामना की. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पैतृक गांव तारापुर में छठी मइया की आराधना की, वहीं मंत्री अशोक चौधरी और उनकी सांसद बेटी शांभवी चौधरी ने पारिवारिक रूप से पूजा संपन्न की. गंडक नदी के घाट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बिना किसी प्रोटोकॉल के श्रद्धालुओं के बीच नजर आए और लोगों के साथ सेल्फी लेते दिखे.

सूर्यदेव और छठी माई का आशीर्वाद सब पर बना रहे : केजरीवाल

नई दिल्ली . आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लोक आस्था के महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं . उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा – लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं . सूर्य उपासना और प्रकृति आराधना के इस पावन पर्व पर सभी व्रती माताओं-बहनों को नमन . केजरीवाल ने आगे कहा कि भगवान सूर्यदेव और छठी माई के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे . उन्होंने कहा कि छठ न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सादगी, स्वच्छता और समर्पण का उत्सव भी है, जो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है .

बेहतर कृषि शिक्षा के लिए खाली पद शीघ्र भरें

दुनिया में हो रहे बेहतर प्रयोगों का अध्ययन कर अपने देश में भी लागू करने के उपाय करें : शिवराज सिंह

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आज पूसा, दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि छात्र सम्मेलन का वृहद आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के कृषि छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए, वहीं हजारों विद्यार्थी वर्चुअल भी जुड़े थे. साथ ही, कृषि वैज्ञानिक, प्राध्यापक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी भी शामिल हुए और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी वर्चुअल शामिल हुए.

इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार, रिसर्च, आधुनिक तकनीकों व ज्ञान का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना था. इसमें विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान के आधुनिक आयाम और सरकार की नीतियों से अवगत कराया गया,

> वहीं इस मंच के माध्यम से कृषि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने और कृषि में शोध कार्य को गति देने का प्रयास किया गया . केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में इस बात पर चिंता जताई कि कृषि शिक्षा से जुड़े कई पद खाली पड़े है, उन्होंने बेहतर कृषि शिक्षा के लिए सभी खाली पद शीघ्र भरने के निर्देश के महानिदेशक को दिए, साथ ही कहा कि सुचारू कृषि शिक्षा और राज्यों में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में खाली पड़े सभी पद शीघ्र भरने के लिए वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी भेजेंगे और वहां के कृषि मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे .

छोटे किसानों तक अच्छी क्वॉलिटी के बीज पहुंचना चाहिए

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पूसा परिसर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम के नव-स्थापित अत्याधुनिक सब्जी एवं पुष्प बीज प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग इकाई का उद्घाटन किया . इस अवसर पर उन्होंने बरेली, धारवाड़, हसन, सूरतगढ़ और रायचूर स्थित एनएससी के पांच बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया . पूसा, नई दिल्ली स्थित बीज भवन में स्थापित सब्जी बीज प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 1 टन प्रति घंटा है, जबकि एनएससी के अन्य पांचों संयंत्रों की क्षमता 4 टन प्रति घंटा रखी गई है . ये संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बीज उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी . कार्यक्रम के दौरान चौहान ने किसानों के लिए 'बीज प्रबंधन 2.0' प्रणाली और ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया . इस प्रणाली के माध्यम से किसान अब अपनी बीज आवश्यकताओं की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और उपलब्धता दोनों में सुधार होगा . छोटे किसानों तक अच्छी क्वॉलिटी के बीज पहुंचना जरूरी है . चौहान ने इस अवसर पर कहा कि इन संयंत्रों से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी . ये नए प्लांट किसानों की जरूरतें पूरी करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है . पिछले दिनों चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें नकली और घटिया बीज के संबंध में आई थी, ऐसे में गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होना आवश्यक है .

सभी नक्सली आत्मसमर्पण करें : शाह

नयी दिल्ली,27 अक्टूबर. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जलि में 21 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने की सराहना की है. शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट कहा कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जलि में 21 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है जो काफी प्रसन्नता की बात है.उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले 21 नक्सलियों में से 13 शीर्ष काडर थे. शाह ने कहा कि वे इन नक्सलियों के मुख्यधारा में शामिल होने और मोदी सरकार के आह्वान पर हिंसा छोड़ने के लिये उनकी सराहना करते हैं. उन्होंने कहा कि वे अन्य नक्सलियों से फिर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दें.

महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव में पूर्ण जीत सुनिश्चित करें

मुंबई . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र के आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की पूर्ण विजय सुनिश्चित करने का आह्वान किया . शाह मुंबई में भाजपा के नए राज्य मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे . इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ-साथ कई मंत्री, वरिष्ठ नेता और बढ़ी संख्या पर पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे . गृह मंत्री ने भाजपा की चुनावी सफलता को याद करते हुए कहा, हमने 2014 में गठबंधन की कोशिश की थी और तब से, हमने तीन बार बहुमत हासिल किया है .

आज का इतिहास

1628- ला रोशेल की घेराबंदी समाप्त.

1848-स्पेन का पहला रेलवे बार्सिलोना और मातरो के बीच खुला.

1886 -अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को राष्ट्र को समर्पित किया.

1891-जापान में भूकंप से 7300 लोगों की मौत.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरा नाम पूर्व में नाम **RUHUL AMIN पिता daud ji** था। लेकिन आजं के बाद मेरा नाम रुहुलअमिन रंगरेज/पिता दाऊद रंगरेज **Ruhulamin Rangrez / पिता Daud rangrez** है और मुझे आज के बाद इसी नाम से जाना और पहचाना जाए।

पता -Rohidas Marg Aman Colony, Jhabua (M.P.)

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

CENTRUM Home Loans Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098,
CIN No. U65922MH2016PLC273826

कब्ज़ा नोटिस

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या / ऋणी/ सह-ऋणी का नाम	सुरक्षित संपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तारीख
1.	UDRMD24017903 पंकज पंकज/गंगा बाई/ सुगना सुगना/घनश्याम राठौर	अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा, सर्वे संख्या 146, पीएच नंबर 26, प्रवेश 988 वर्ग फुट, ग्राम खांखरी, तहसील-मल्हारगढ़, जिला-मंदसौर-458664, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- उकारलाल पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर-शंभूलाल, दक्षिण-शिवलाल	30-जुलाई-25/ रु.7,21,780/- (रु. सात लाख इक्कीस हज़ार सात सौ अस्सी मात्र)	24-10-2025
2.	UDRMD24015022 मेहरवान सिंह सोंदिया राजपूत/ अमृत कुंवर	अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा, मकान संख्या 67, वार्ड संख्या 15, 1680 वर्ग फुट, ग्राम चिमनगढ़, सीतामऊ, जिला मंदसौर-458990, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- सीसी रोड रास्ता, पश्चिम- सीसी रोड रास्ता, उत्तर - मकान राम सिंह, दक्षिण - मकान अर्जुन सिंह.	30-जुलाई-25/ रु.4,92,749/- (रु. चार लाख बानवे हज़ार सात सौ उन्नचास मात्र)	24-10-2025

दिनांक : 28-10-2025 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : मध्यप्रदेश **सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600032 टी.एन.

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना को चिपकाने और प्रकाशित करने से उसकी तामील प्रभावित हो रही है। मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत है:-

स. क्र.	उधारकर्ता/ओं और सह-उधारकर्ता/ओं का नाम और पता	ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि एवं ओ/एस. राशि	संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	ऋण खाता. नं. (एस) : LAP3DHR000128452 1. श्रीमान/श्रीमती। अय्यूब खान, 2. श्रीमान/श्रीमती। फरहान खान, 3. श्रीमान/श्रीमती। रुकसार अय्यूब पता:-147 छत्रीपुरा धार,तहसील एवं जिला धार म.प्र., चिंतामन गणेश के पास मंदिर छतरीपुरा, धार, म.प्र.- 454001. इसके अलावा यहांः निजी प्लॉट नंबर सी-1 और सी-2, बमोहल्ला बख्तावर मार्ग छत्रीपुरा, पुराना मकान नंबर 143 नया 146, धार, धार, धार, म.प्र. - 454001 चिंतामण गणपति मण्डी, धार मध्य प्रदेश - 454001.	रु. 20,00,000/-	15.10.2025 रु.20,95,927/- (बीस लाख पिनच्यानवे हजार नौ सौ सत्ताईस मात्र) 14.10.2025 तक	स्थल के अनुसार पताः- निजी प्लॉट संख्या C-1 और C-2, बामोहल्ला बख्तावर मार्ग (छत्रीपुरा) पुराना मकान संख्या 143 (नया 146) धार 454001 मध्य प्रदेश पताः- दस्तावेज के अनुसारः- 147, छत्रीपुरा धार मेन रोड हटवाड़ा 78, धार, मध्य प्रदेश, सीमाएँ:- योजना/विलेख/ लेआउट के अनुसारः- पूर्वः C-1 = नवाब के D-1 का भाग, C-2 = नवाब के D-2 का भाग पश्चिमः C-1 = अफजल के इ-1 का भाग, C-2 = अफजल के इ-2 का भाग दक्षिणः C-1 बख्तावर मार्ग, C-2 अफजल के B-2 का भाग और अय्यूब के C-1 का भाग, उत्तरः नवाब के D-2 का भाग, C-2 = सरकारी गली वास्तविक स्थल के अनुसारः- -पूर्व - D-1 का भाग, नवाब के D-2 पश्चिम- का भाग अफजल दक्षिण - रोड का बी-1, बी-2 उत्तर - सरकारी लेन।
2.	ऋण खाता. नं. (एस) : HL09IND000062299 1. श्रीमान/श्रीमती। बद्रीलाल श्रीमान श्रीमती। निर्मला पताः- ग्राम करवासा, बेटमा इंदौर, मंदिर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 453001। इसके अलावाः एलआईजी प्लॉट नं. एल-2, पीएच नंबर 37, श्री श्याम विहार कॉलोनी सलामपुर बेटमा रोड देपालपुर-453001.	रु. 21,00,000/-	15.10.2025 रु.21,91,166/- (इक्कीस लाख इनक्यानवे हजार एक सौ छियासठ मात्र) 14.10.2025 तक	स्थल के अनुसार पताः- लिग प्लॉट संख्या 2, फोन संख्या 37, श्री श्याम विहार कॉलोनी, सलामपुर, देपालुर, इंदौर 453001, मध्य प्रदेश, पता दस्तावेज के अनुसारः- एल 02, बेटमा रोड, देपालपुर, सीमाएँ योजना/विलेख/लेआउट के अनुसारः- पूर्वः प्लॉट संख्या E-3, पश्चिमः रोड दक्षिणः प्लॉट संख्या L-1, उत्तरः प्लॉट संख्या L-3, वास्तविक स्थल के अनुसारः- पूर्व - प्लॉट संख्या E-3, पश्चिम - रोड दक्षिण - प्लॉट संख्या L-1, उत्तर - प्लॉट संख्या ,L-3।

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। साथ ही, भुगतान प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय भी शामिल करें।

उधारकर्ता कृपया ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। और भुगतान प्राप्त करना। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता (कों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। इसके तहत उधारकर्ता(कों) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्य तरीके से (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(कों) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः धार, इन्दौर, मध्य प्रदेश **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांकः 15.10.2025 **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए**

इचलकरंजी महानगरपालिका, इचलकरंजी जि. कोल्हापूर

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग

ई-निविदा सुचना क्र. ५/२०२५-२०२६

इचलकरंजी महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून इचलकरंजी शहरातील नेमून दिलेल्या क्षेत्रामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाशी निगडीत दैनंदिन कामकाजाकरिता मनुष्यबळ पुरविणेबाबत ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत. सदर ई-निविदा http://mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर दि. २८/१०/२०२५ सकाळी ११ वाजलेपासून दि. ७/११/२०२५ रोजी दुपारी ११.०० वाजेपर्यंत पहावयास मिळेल. भरलेल्या निविदा सादर करणेची अंतीम तारीख दि. ७/११/२०२५ दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत राहील. प्राप्त निविदा दि. ७/११/२०२५ रोजी दुपारी ४.०० वा. उघडणेत येतील. निविदासंबंधी सर्व अटी शर्ती/माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी व वेळेत म.न.पा.नोटीस फलकावर तसेच उपरोक्त संकेतस्थळावर पहावयास मिळतील.

सही/-
उपायुक्त,
इचलकरंजी महानगरपालिका

मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास वि./यां. बड़वानी (म.प्र.)

दूरभाष : 07290-224946, ई-मेल :- eendenmbarwani@gmail.com

तृतीय आमंत्रण

निविदा आमंत्रण सूचना वास्ते प्रकाशन

निविदा सूचना क्र. 53/व.ले.लि./2025-26 दिनांक: 24.10.2025

निम्न कार्य की आनलाईन निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर जारी की जा रही है। निविदा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

सं. क्र.	ई-निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदाकार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2025_NVDA_458742_1	सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास स्थल बोरलाय-।।, बोरलाय-।।।, चेनपुरा, चिचली, ग्वला-1 एवं सिरसानी तहसील ठीकरी एवं बड़वानी जिला बड़वानी में सड़क बत्ती प्रकाश व्यवस्था के सुधार एवं मरम्मत कार्य मय सामग्री प्रदायगी, ट्रान्सपोर्टेशन, टेस्टिंग लेबर चार्जेस इत्यादि सहित पूर्ण कार्य।	212091.00 (रु. दो लाख बारह हजार इक्यानवे मात्र)	4242.00 (रु. चार हजार दो सौ बयालीस मात्र)	रु. 2000.00 (रु. दो हजार मात्र)	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत एवं 'ए' श्रेणी विद्युत लाईसेंस	15 दिवस (अनुबंध की तिथि से)

निविदा कार्य के प्रपत्र क्रय करने की तिथि:- 04.11.2025, 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)
निविदा की धरोहर राशि खुलने की तिथि:- 06.11.2025, 10:00 से 06.11.2025, 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)
प्राईज बिड खुलने की तिथि:- 06.11.2025, 10:00 से 06.11.2025, 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)

निविदा प्रपत्र को उपरोक्त वेबसाइट पर केवल ऑनलाईन क्रय किया जा सकता है। ऑनलाईन पर भुगतान डेबिट/केश कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट्स के माध्यम से किया जा सकता है।आवश्यक होने पर निविदा में अन्य परिवर्तन की सूचना अलग से प्रकाशित नहीं की जाएगी, ऑनलाईन के माध्यम से ही कॉरिजेंडम किये जाएंगे। निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.mptenders.gov.in का अवलोकन करें।

G-20573/25 **कार्यपालन यंत्री**
नर्मदा विकास वि./यां. संभाग
बड़वानी (म.प्र.)

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank) | **पंजीकृत कार्यालयः** द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे क्रमांक 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट क्रमांक 306-ए, पीयू 4, स्कीम क्रमांक 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित।

जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) "जहाँ है जैसी है" के आधार पर और "जो है जैसी है जैसी है" के आधार पर नीचे दी गई तिथि पर आयोजित की जाएगी।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	दिनांक 13-2 नोटिस	कब्जा की तिथि	वर्तमान बकाया शेष राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य भारतीय रुपये में	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रुपये में	ई-नीलामी की तिथि और समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	30369610000046 & 30369630000131	1) श्री अखिलेश व्यास, पुत्र पूर्णानंद, 2) श्रीमती टीना, पत्नि -अखिलेश व्यास	15.01.2024	27.06.2025	रू. 22,27,758.84 (बाईस लाख सत्ताईस हजार सात सौ अट्ठावन और चौरासी पैसे मात्र) 03.10.2025 तक	15.11.2025 सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	रु.12,62,400/- (बारह लाख बासठ हजार चार सौ मात्र)	रु. 1,26,240/- (एक लाख छब्बीस हजार दो सौ चालीस मात्र)	29.11.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	28.11.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इंदौर-452010।
	संपत्ति विवरण/अनुसूचीः ब्लॉक "गोल्डन बी-1" की तीसरी मंजिल पर स्थित आवासीय इकाई/फ्लैट संख्या 306 सहित संपूर्ण आर.सी.सी. सुपर स्ट्रक्चर, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 523 वर्ग फुट (48.60 वर्ग मीटर) है, जिसे "करोल बाग ग्रैंड" के नाम से जाना जाता है, यह भवन सर्वेक्षण संख्या 171/1/1 की भूमि पर निर्मित है और भवरशाला, वार्ड संख्या 18 (संत कबीर), तहसील सांवेर एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। पूर्व में सामान्य मार्ग, पश्चिम में उद्यान क्षेत्र, उत्तर में फ्लैट संख्या 307, पिपली बाजार और दक्षिण में फ्लैट संख्या 305 से घिरा है।									
2	45589440000802 & 45589410000690	1) श्री हरिराम भंवर, पुत्र सोमाजी, 2) श्री विनोद भंवर, पुत्र हरिराम, 3) श्री संजय भंवर पुत्र हरिराम	09.08.2024	20.08.2025	रू. 6,84,201.60 (छह लाख चौरासी चार हजार दो सौ एक और साठ पैसे मात्र) 06.10.2025 तक	15.11.2025 सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	रु. 4,12,688/- (चार लाख बारह हजार छह सौ अठासी मात्र)	41,268.80 रुपये (ईकतालीस हजार दो सौ अड़सठ और अस्सी पैसे मात्र)	29.11.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	28.11.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इंदौर-452010।
	संपत्ति विवरण/अनुसूचीः सर्वेक्षण संख्या 588 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1209 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण सहित, पीएच संख्या 56, ग्राम जेतपाड़ा में स्थित है, ग्राम पंचायत सरवाड़, तहसील एवं जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में शांतिलाल भाभर का मकान, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में किशन भाभर की कृषि भूमि और दक्षिण में आम सड़क से घिरा हुआ।									
3	45589630000651 & 45589410000779	1) श्री कन्हैया लाल, पुत्र गोवा कुमावत, 2) श्रीमती जीतेन्द्र, पुत्र. गोवा कुमावत, 3) श्रीमती छाया मारू, पत्नि कन्हैया लाल	16.11.2024	04.09.2025	रू. 6,74,505.52 (छह लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ पाँच और बावन पैसे मात्र) 06.10.2025 तक	15.11.2025 सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	रु. 6,23,700/- (छह लाख तेईस हजार सात सौ मात्र)	रु. 62,370/- (बासठ हजार तीन सौ सत्तर मात्र)	29.11.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	28.11.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इंदौर-452010।
	संपत्ति विवरण/अनुसूचीः अनुसूचीः मकान/भूखंड संख्या 44 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 792 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य, सर्वेक्षण संख्या 726, पीएच संख्या 96 का भाग, ग्राम उमरान में, ग्राम पंचायत उमरान, जनपद पंचायत रतलाम, तहसील एवं जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में राजू, पुत्र भग्गा जी का मकान, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में कमलेश कुमावत का मकान और दक्षिण में आम सड़क से घिरा हुआ।									
4	33049420003034 & 33049420003225	1) श्री मुकेश गेहलोत, पुत्र रूपसिंह गेहलोत, 2)श्रीमती कंचन गेहलोत, पत्नि मुकेश गेहलोत	09.12.2024	12.09.2025	रू. 13,23,886.90 (तेरह लाख तेईस हजार आठ सौ छियासी और नब्बे पैसे मात्र) 06.10.2025 तक	15.11.2025 सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	रु. 8,55,750/- (आठ लाख पचपन हजार सात सौ पचास मात्र)	रु. 85,575/- (पिच्यासी हजार पांच सौ पिचहत्तर मात्र)	29.11.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	28.11.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इंदौर-452010।
	संपत्ति विवरण/अनुसूचीः भूखंड संख्या 434 का दक्षिणी भाग, कुल क्षेत्रफल 420 वर्ग फुट (39.019 वर्ग मीटर), सर्वेक्षण संख्या 72/5 का भाग, ग्राम बगदून, पी.एच. संख्या 58, वार्ड संख्या 28, विकास खंड नालछा, तहसील पीथमपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश) में स्थित भूमि का वह समस्त टुकड़ा और टुकड़ा। पूर्व में सड़क, पश्चिम में भूखंड संख्या 427, उत्तर में भूखंड संख्या 434 का शेष भाग और दक्षिण में भूखंड संख्या 432 से घिरा हुआ।									
5	33049440000070 31159630000313 33049410000022 31159410001397 & 33049410000404	1) श्री भरत, पुत्र भगवती प्रसाद, मालिक M/S भारत गारमेंट्स, 2) श्री अनिल कुमार, पुत्र भगवती प्रसाद	07.08.2024	23.07.2025	रू. 25,75,407.80 (पच्चीस लाख पिचहत्तर हजार चार सौ सात और अस्सी पैसे मात्र) 06.10.2025 तक	15.11.2025 सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	रु. 8,38,500/- (आठ लाख अड़तीस हजार पाँच सौ मात्र)	रु. 83,850/- (तेरासी हजार आठ सौ पचास मात्र)	29.11.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	28.11.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इंदौर-452010।
	संपत्ति विवरण/अनुसूचीः शांति नगर कॉलोनी विस्तार, ग्राम महूगाँव, तहसील महू एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित, भूखंड संख्या 414 का वह सम्पूर्ण भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग फुट (39.96 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। पूर्व में विक्रेता की भूमि, पश्चिम में कॉलोनी रोड, उत्तर में सरकारी भूमि और दक्षिण में भूखंड संख्या 413 इसकी सीमाएँ हैं।									

संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है जैसी है" के आधार पर रखी जा रही हैं और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी। उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान जन लघु वित्त बैंक के पक्ष में किए जाएँगे। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क कर सकते हैं; श्री विकास केटेले से संपर्क करें, संपर्क संख्याः 8712637550। ईमेल आईडीः info@bankauctions.in / vikas@bankauctions.in। ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित्त बैंक के अधिकारी श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, इन संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार और संपत्ति के स्वामित्व के बारे में स्वतंत्र रूप से पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह उपरोक्त उधारकताओं/गारंटर/बंधककताओं को बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में एक सूचना भी है। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक खर्चों का भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 28.10.2025, स्थानः इंदौर | एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड